प्ररूप 45क

[नियम 112(2)(ख) *देखिए*]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्राधिकार का वारंट

[सेवा में

उपनिदेशक,

उपायुक्त,

सहायक निदेशक,

सहायक आयुक्त,

आय-कर अधिकारी]

मेरे समक्ष जानकारी रखी गई है और उस पर विचार करने पर मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि –

[उपायुक्त/सहायक आयुक्त/ आय-कर अधिकारी] ..... द्वारा भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन समन अथवा भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना .....[व्यक्ति का नाम] को तारीख ..... को, सुसंगत समन या सूचना में विनिर्दिष्ट लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने के लिए जारी किया गया था/जारी की गई थी और उसने ऐसे समन या सूचना द्वारा यथाअपेक्षित ऐसी लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने में लोप किया है या वह असफल रहा है;

[उपायुक्त/सहायक आयुक्त/आय-कर अधिकारी]..... द्वारा भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन समन अथवा भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना ..... को तारीख ..... को, सुसंगत समन या सूचना में विनिर्दिष्ट लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने के लिए जारी किया गया था/जारी की गई थी और वह ऐसे समन या सूचना द्वारा यथाअपेक्षित ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा या प्रस्तुत नहीं कराएगा;

यदि भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन समन अथवा भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन ..... [व्यक्ति का नाम] को ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराने के लिए जारी किया गया था/जारी की गई थी, जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 या आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कार्यवाहियों में उपयोगी या सुसंगत होंगी, वह ऐसे समन या सूचना द्वारा यथाअपेक्षित ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा या प्रस्तुत नहीं कराएगा;

सर्वश्री/श्री/श्रीमती ..... के कब्जे में कोई धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज है और ऐसा धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज ऐसी आय या संपत्ति का पूर्णतः या भागतः प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 या आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए प्रकट नहीं की गई है या प्रकट नहीं की जाएगी, और मेरे पास यह संदेह करने का कारण है कि ऐसी लेखा-पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज ..... में (भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें), जो मेरी अधिकारिता के भीतर हैं, रखी हैं और पाई जाती हैं;

और मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है सर्वश्री/श्री/श्रीमती ..... पर अधिकारिता रखने वाले [4][मुख्य-आयुक्त या आयुक्त] से धारा 132 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार प्राप्त करने में कोई विलंब राजस्व के हितों के प्रतिकूल होगा ;

आपको

.....

[उप निदेशक या उपायुक्त का या सहायक निदेशक का या सहायक आयुक्त का या आय-कर अधिकारी का नाम] यह प्राधिकार दिया जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि आप

(*क*) उक्त भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान में प्रवेश करें और उसकी तलाशी लें;

(*ख*) ऐसे किसी व्यक्ति की, जो भवन/स्थान/जलयान/यान/वायुयान से बाहर आ गया है या उसमें भीतर घुसने वाला है, की तलाशी से, यदि आप के पास यह संदेह करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसी किसी लेखा-पुस्तक, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को अपने शरीर में छिपा लिया है;

(*ग*) ऐसी लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों पर जो तलाशी के अनुक्रम में पाई जाएं और जिन्हें आप पूर्वोक्त कार्यवाही के लिए सुसंगत या उपयोगी समझें, पहचान चिह्न लगा दें और पहचान चिह्नों की विशिष्टियों के साथ उसकी सूची तैयार कर लें;

(*घ*) ऐसी लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों की परीक्षा करें और ऐसी लेखा-पुस्तकों या दस्तावेजों की प्रतियां या उद्धरण तैयार करे या तैयार कराएं;

(*ङ*) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई ऐसी किसी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को अभिग्रहण करें तथा उसको कब्जे में ले ले;

(*च*) ऐसे किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का टिप्पण बनाएं या सूची बनाएं;

(*छ*) ऐसी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को आय-कर [उपायुक्त] के या किसी अन्य प्राधिकारी के, जो

आय-कर अधिनियम, 1961 के निष्पादन में नियोजित आय-कर अधिकारी को पंक्ति से नीचे का न हो, कार्यालय में पहुँचाएं ; और

(*ज*) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 और उससे संबंधित नियमों के अधीन अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करें ओर अन्य सभी कृत्यों का पालन करें।

आप, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए अपनी सहायता करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी की या दोनों की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकते हैं।

महा निदेशक या निदेशक

[मुद्रा] आय-कर के [मुख्य-आयुक्त या आयुक्त]

[*उप निदेशक*] *आय-कर के* [*उपायुक्त*]